संख्या- 88/2025/1138/छप्पन-2025-56-1002(002)/1/2023

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन ,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊः दिनांक: 21 अक्टूबर, 2025

विषयः नागरिक उड्डयन निदेशालय स्थित वी0आई0पी0 लाउन्ज में पुनः विद्युतीकरण, फायर एलार्म सिस्टम, Renovation Work एवं फर्नीचर का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 141/लेखा/2025-26 दिनांक 14 अगस्त, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-17/2025/186/छप्पन-2025-56-1002 (002)/1/2023 दिनांक 10 फरवरी, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं -114-वाहन का क्रय तथा रखरखाव-03 नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-29 अनुरक्षण में लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से प्राप्त आगणन के अनुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)
1	विद्युतीकरण एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी कार्य	16.67
2	फायर एलार्म सिस्टम	06.95
3	Renovation work एवं फर्नीचर का कार्य	44.38
	कुल अनुमानित व्यय	**68.00**

साथ ही यह भी अवगत कराया गया है उक्त शासनादेश के अन्तर्गत विद्युतीकरण एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी कार्य एवं फायर एलार्म सिस्टम हेतु कुल स्वीकृति रू0 23.62 लाख के सापेक्ष रू0 17.00 लाख का भुगतान कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0अनु0(वि0), लोक निर्माण विभाग लखनऊ को प्रथम किश्त के रूप में किया जा चुका है। जिसके सापेक्ष पत्रांक संख्या 1537/उपयोगिता/2025 दिनांक 07.08.2025 के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0 6.62 लाख का भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त Renovation work एवं फर्नीचर का कार्य हेतु कुल स्वीकृति रू0 44.38 लाख के सापेक्ष रू0 30.00 लाख का भुगतान अधिशाषी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड नं0-1 (सिविल) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रथम किश्त के रूप में भुगतान किया जा चुका है. जिसके सापेक्ष पत्रांक संख्या-2032/प्रमाण-पत्र / 2025 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार अवशेष धनरशि रू0 14.38 लाख का भुगतान किया जाना है। इस प्रकार कुल अवशेष धनराशि रू0 21.00 लाख का भुगतान किया जाना है। सूचनीय है कि प्रश्नगत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उक्त के दृष्टिगत कुल अवशेष धनराशि रू0 21.00 लाख की व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2025 द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत नागरिक उड्डयन निदेशालय स्थित वी0आई0पी0 लाउन्ज में पुनः विद्युतीकरण, फायर एलार्म सिस्टम, Renovation Work एवं फर्नीचर का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में कुल अवशेष धनराशि रू0 21.00 लाख (रूपये इक्कीस लाख) के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 88/2025/1138(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- समीक्षा अधिकारी, (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।